

1924

पत्रावली पर सुनी व्यवस्था
 वही व्यवस्था सुनी जाये। प्रथम
 पत्रा की संख्या - 288 पत्रा 9
 किया जाये है कि वह राजस्थान
 और जीपार शहर के स्वतंत्र संस्था
 1515, व 1515/1 भारत की व्यवस्था
 के निम्नान्त एक राजस्थान रेकर्ड
 की सहायिनी प्राप्त रखी जाये।
 पत्रावली के सल सुना होना तथा
 वे सम हो खराब वाक के साथ
 करनी हो।

सहायक कलेक्टर
 उपखण्ड अजमेर
 बीकानेर शहर (जोधपुर)